# एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## भाग-1

# कार्यवाही प्रश्नोत्तर

सत्यमेव जयते

सोमवार, तिथि 12 अप्रील, 1999

मंगलवार, तिथि 13 अप्रील, 1999

वृहस्पतिवार, तिथि 15 अप्रील, 1999

है जिसमें चीनी मिल के ऊपर प्रश्न न आया हो। हम सभी माननीय सदस्य इसे जान रहे हैं। यह चीनी मिल उत्तर बिहार का जो एकमात्र उद्योग था उसके–

**श्री रामचन्द्र पूर्वे :** महोदय, आगे का भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब हो गया इसलिए अब आगे के प्रश्न लिये जायें।

(व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र पूर्वे :** महोदय, अब आगे बढ़ा जाय।

## पुलिस चौकी खोलना

ख, *38. **श्री गुरू सहाय महतो**–क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह एवं कोडरमा जिलान्तर्गत गांवा प्रखंड पिहरा ग्राम तथा कोडरमा जिला के धाव ग्राम में पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण विधि व्यवस्था पर नियंत्रण करने में कठिनाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों से 25 किलोमीटर की दूरी पर थाना रहने के कारण हत्याऐं, चोरी, डकैती की घटनाएं घटती रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गांवों में नया पुलिस चौकी खोलने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

'ख' दिनांक 5 अप्रैल 1999 से सदन द्वारा स्थगित।

**श्री गणेश प्रसाद सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय....

**उपाध्यक्ष :** तारांकित प्रश्न सं०-38 को मैंने पुकार दिया है। अब बैठिए।

**श्री जगदानन्द सिंह** : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । दोनों ग्रामों में पुलिस पिकेट शिविर कार्यरत हैं ।

(2) थाना से उक्त ग्रामों के अधिक दूरी के कारण ही दोनों ग्रामों में पुलिस पिकेट स्थापित हुई तथा अपराध नियंत्रण में है ।

(3) उक्त ग्रामों में पुलिस पिकेट स्थापित रहने के कारण अपराध नियंत्रण में है । इसलिए नया पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री गुरू सहाय महतो** : उपाध्यक्ष महोदय. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसे कि ये कहें कि वहां पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता नहीं है । महोदय, वहां बार-बार, 10 तारीख को भी वहां गोली चली है । वहां वाहन लूटे जा रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष** : मंत्री जी को प्रशनली सूचना देकर के आप इसको कीजिए।

## सेवा निवृत्त कर्मियों का वेतन निर्धारण

'ग' *48. **श्री भोला राय**–क्या मंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 7210, दिनांक 4 जुलाई 1998 द्वारा 78 वरीय निजी सहायकों के साथ सर्वश्री देवक प्रसाद सिंह, गोबर्द्धन प्रसाद एवं अन्य सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्व की तिथि से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नती दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह एवं अन्य तीन सेवानिवृत्त कर्मियों को उक्त अधिसूचना के आलोक में अबतक वेतन फिक्सेसन कर महालेखाकार, बिहार को नहीं भेजा गया है, फलस्वरूप पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी के लाभ से वंचित हैं;